तारीख हुकम	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **अज अदालत अपर सैशन न्यायाधीश, संख्या–1, किशनगढ, अजमेर** **सैशन प्रकरण संख्या–123/2025** **सी.आई.एस. संख्या–123/2025** **सरकार बनाम दीपक सैनी** 1	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

03.02.2026	अपर लोक अभियोजक उपस्थित। मुल्जिम दीपक सैनी जे.सी. से जरिये वी.सी. उपस्थित। इसकी न्यायिक अभिरक्षा अवधि जे.सी. वारंट पर दिनांक 23.02.2026 तक बढाई जाती है। गवाह पी.डब्ल्यू 01 धनराज उपस्थित। अधिवक्ता अभियुक्त ने आदेश दिनांकित 02.02.2026 की पालना में गवाह को 500/– रूपये हर्जा अदा किया। अधिवक्ता अभियुक्त ने एक प्रार्थना पत्र गवाह से जिरह करने हेतु आगामी पेशी दिये जाने बाबत प्रस्तुत किया एवं इस प्रार्थना पत्र के साथ फर्द दस्तावेज सूचि के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 15/2026 पुलिस थाना सिविल लाईन्स की फोटोप्रति प्रस्तुत की। जिसकी नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलवाई गई। जिन्होने इस प्रार्थना पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत न कर सीधे बहस करना जाहिर किया। जिस पर बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अभियुक्त पर दिनांक 19.01.2026 को जेल के अन्य बंदी हिनेश पुत्र श्री शंकरलाल ने हमला कर उसे घायल कर दिया था जिसके कारण अधिवक्ता अपने अभियुक्त से हस्तगत प्रकरण की जानकारी नही ले पाया। इस प्रकरण में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यो के संबंध में उसे अपने अभियुक्त से जानकारी प्राप्त करनी है। चूंकि तत्समय अभियुक्त की उक्त घटना में आई गंभीर चोट के कारण स्थिति सही नही थी इसलिए वह आवश्यक जानकारी प्राप्त नही कर पाया। अतः यह प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गवाह से जिरह करने हेतु आगामी पेशी नियत की जावे। इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त प्रार्थना पत्र का मौखिक विरोध करते हुए निवेदन किया कि अभियुक्त की स्थिति गंभीर होने के संबंध में कोई चिकित्सीय दस्तावेज अभियुक्त के अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया है। अधिवक्ता अभियुक्त केवल मात्र प्रकरण को विलंबित करना चाहते है। उन्हे पर्याप्त समय व अवसर आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात प्राप्त हो चुका है। अतः ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज किया जावे। हमने उभयपक्षों के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त को आरोप पत्र की प्रति दिनांक 27.11.2025 को प्रेषित की जा चुकी है। अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से दिनांक 10.12.2025 को इस न्यायालय के समक्ष वकालतनामा भी प्रस्तुत किया जा चुका है एवं दिनांक 05.01.2026 को इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्व आरोप विरचित किये गये है। आरोप पत्र प्रस्तुत	

तारीख हुकम	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **अज अदालत अपर सैशन न्यायाधीश, संख्या–1, किशनगढ, अजमेर** **सैशन प्रकरण संख्या–123/2025** **सी.आई.एस. संख्या–123/2025** **सरकार बनाम दीपक सैनी** 2	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

	होने के इतने लंबे समय अवधि तक अधिवक्ता अपने अभियुक्त से संपर्क नही कर पाया हो। ऐसा संभव प्रतीत नही होता है। जहां तक प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त के चोटिल होने के कारण उससे जानकारी प्राप्त नही होने का प्रश्न है इस संबंध में ऐसा कोई चिकित्सीय दस्तावेज इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अभियुक्त बोलने की स्थिति मे नही हो। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 27.08.2025 से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में है। ऐसे प्रकरणों के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने शीघ्र निस्तारण करने के आदेश प्रदान किये हुए है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नही होता है। अतः यह प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। अभियुक्त दीपक सैनी व उसके अधिवक्ता को गवाह पी.डब्ल्यू 01 धनराज से जिरह करने हेतु अवसर दिया जिन्होने जिरह करने से इंकार किया। जिस पर गवाह से जिरह करने का अवसर समाप्त किया जाता है। गवाह संख्या 03 व 04 को जरिये जमानती वारंट 2000/– से तलब कर पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक **23.02.2026** को पेश हो। **(संदीप आनन्द)** **अपर सैशन न्यायाधीश सं.1,** **किशनगढ अजमेर**	